अध्याय- VI

अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

अध्याय-VI

अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1 कर प्रशासन

इस अध्याय में वनों, खनन, उद्योगों, लोक निर्माण कार्य और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों से प्राप्तियों का समावेश है। प्रशासन प्रत्येक विभाग हेतु पृथक रूप से बनाए गए अधिनियमों एवं नियमावलियों द्वारा शासित किया जाता है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में वन प्राप्तियों से सम्बंधित 15 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 82 मामलों में ₹10.57 करोड़ से अंतर्ग्रस्त रॉयल्टी की अवसूली/ अल्पवसूली, ब्याज/ वर्धन फीस का उद्ग्रहण न करना, रायल्टी की उगाही न करना/ कम करना, निष्क्रिय/ न्यूनतम किराया आदि, तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई जो निम्नवत् **तालिका 6.1** में दी गई श्रेणियों के अंतर्गत पड़ती हैं।

तालिका 6.1

₹ करोड़

क्रमांक	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
	वन विभाग		
1.	रॉयल्टी की अवसूली/अल्पवसूली	10	1.89
2.	ब्याज का अनुद्ग्रहण, जब्त की गई लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन, वृक्षों की लागत की कम उगाही	15	1.34
3.	अन्य अनियमितताएं	25	4.75
	योग	**50**	**7.98**
	उद्योग विभाग		
1.	रॉयल्टी की उगाही न करना/कम करना, निष्क्रिय/न्यूनतम किराया आदि	27	1.57
2.	अन्य अनियमितताएं	05	1.02
	योग	**32**	**2.59**
सकल योग		**82**	**10.57**

विभाग ने वर्ष के दौरान 88 मामलों में ₹7.11 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान 81 मामलों में ₹5.74 करोड़ की राशि की उगाही की गई थी।

₹99.47 लाख से अंतर्ग्रस्त कुछ निदर्शी मामलों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

वन विभाग

6.3 जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन

भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 में जब्ती योग्य सम्पत्ति को जब्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पाद को या तो सुपुरदार[1] की सुपुर्दगी (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखा जाना चाहिए अथवा प्रपत्र-17 में इसे लेखाबद्ध करने के पश्चात सम्बंधित क्षेत्रीय स्टाफ के पास रखा जाना चाहिए। इस प्रकार लेखाबद्ध की गई इमारती लकड़ी/ वन उत्पाद का या तो अपराध का निपटारा करने के पश्चात अथवा न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय करने पर निपटारा किया जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को निर्देश दिये (अप्रैल 1999) कि जहां पर वन उत्पादों की सुपुर्दगी अत्यधिक लम्बी अवधि हेतु ली गई है वहां सम्बंधित जांच अधिकारी को ऐसे उत्पादों की निगरानी पर व्यय को कम करने तथा अपकर्ष/ चोरी से बचाव के लिए 15 दिनों के अन्दर जब्त सम्पत्ति की नीलामी हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने को कहा जाना चाहिए।

पांच वन मण्डलों[2] की इमारती लकड़ी के प्रपत्रों की नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा से पाया गया कि 20 वन क्षेत्रों में विभाग ने ₹9.38 लाख के मूल्य वर्धित कर से अंतर्ग्रस्त ₹77.57 लाख के मूल्य की 169.8461 घन मीटर परिमाप की इमारती लकड़ी जब्त की (2011-12 और 2012-13 के मध्य)। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि जब्त की गई इमारती लकड़ी विभाग के विभिन्न डिपुओं में पड़ी थी। अभिलेख में इसे इंगित करने के लिए कुछ नहीं था कि सम्बंधित वन मण्डलीय अधिकारियों/ जांच अधिकारियों ने तय समय सीमा के अन्दर जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटान हेतु कोई ठोस कदम उठाये थे अथवा न्यायालय के आदेश प्राप्त किये थे। अत: पकड़ी गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के फलस्वरूप न केवल उस सीमा तक राजस्व का अवरोधन हुआ बल्कि निगरानी पर व्यय तथा इमारती लकड़ी का अपकर्ष भी हुआ।

इसे इंगित किये जाने (नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014) पर वन मण्डलीय अधिकारी, रोहडू ने बताया कि माननीय न्यायालय से नीलामी आदेश प्राप्त किए जा रहे थे और तद्नुसार इमारती लकड़ी का निपटारा किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जब्त की गई इमारती लकड़ी जोकि अब भी डिपुओं में पड़ी थी, का निपटारा करने हेतु विभागीय कर्मचारियों ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।

विभाग तथा सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा अप्रैल 2014 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

6.4 राजस्व की अल्प वसूली

सितम्बर 1991 के विभागीय निदेशों के अनुसार भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उपयोक्ता अभिकरणों को क्षेत्र का अंतरण करने से पूर्व गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अपवर्तित/ हस्तांतरित वन भूमि पर खड़े वृक्षों की लागत निवर्तमान बाजार दरों पर वसूल की जानी है। इसके

---

1 लंबरदार अथवा उस स्थान का कोई विश्वसनीय व्यक्ति

2 बिलासपुर: घनत्व: 25.3991 घन मीटर ₹7.65 लाख, चौपाल: घनत्व: 45.525 घन मीटर ₹23.62 लाख, कुल्लू: 63.271 घन मीटर ₹29.02 लाख, रामपुर:4.721 घन मीटर ₹2.45 लाख, रोहडू: 30.930 घन मीटर ₹14.83 लाख

अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने मार्च 2000 के अपने पत्र द्वारा स्पष्ट किया था कि टेक्सस बैक्टा वृक्षों की लागत देवदार के प्रति प्रभारित की जानी है।

लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2013 और फरवरी 2014 के मध्य बिलासपुर तथा नाहन वन मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि भारत सरकार से जून तथा जुलाई 2012 के मध्य गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु 1,818.4828 घन मीटर के स्थिर घनत्व से युक्त विविध प्रजातियों[3] के 14,185 वृक्षों/ सैपलिंगों से युक्त वन भूमि के 98.079 हेक्टेयर के अपवर्तन का अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभाग ने मांग की गलत ढंग से गणना की और परियोजना[4] के संरेखण में आने वाले वृक्षों/ सैपलिंगों के सम्बंध में 2012-13 के दौरान निवर्तमान बाजार दरों पर प्रभार्य ₹340.38 लाख के स्थान पर 2009-10 में लागू बाजार दरों पर ₹306.44 लाख की उगाही की (जनवरी 2011 और जुलाई 2011 के मध्य)। इसके परिणामस्वरूप मूल्य वर्धित कर सहित ₹33.94 लाख के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

सरकार को मामला विभाग और जनवरी 2014 तथा मई 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

6.5 विभागीय प्रभारों को जमा न करवाना

प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश, के मई 2004 में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार विभाग के स्थापना तथा अवसंरचना प्रभारों को आवृत्त करने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के मामले में 17.5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों को प्रभारित किया जाना था। प्रधान मुख्य अरण्यपाल के मार्च 2003 के पत्र के अनुसार विभागीय प्रभारों के आधार पर उगाही गई राशि को क्षतिपूरक वनरोपण शीर्ष के स्थान पर विभाग के राजस्व के रूप में जमा करवाया जाना था।

चार वन मण्डलों[5] के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य पाया गया कि गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु वन भूमि के अपवर्तन के 18 मामलों के सम्बंध में ₹52.31 लाख के विभागीय प्रभारों सहित क्षतिपूरक वनरोपण के आधार पर ₹3.55 करोड़ की उगाही की गई थी। इस प्रकार उगाहे गये ₹52.31 लाख के विभागीय प्रभारों को सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा करवाने के स्थान पर क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण लेखे में जमा करवाया गया था। इस प्रकार, सरकारी खाते में विभागीय प्रभारों को जमा न करवाने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की न्यूनोक्ति हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा मई 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

6.6 रेजिन ब्लेजों का अनियमित विलोपन

वन कार्य प्रणाली के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् रेजिन लॉटस का रेजिन स्राव कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के पास है,जो इस प्रयोजन हेतु एकमात्र एंजेट है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने मई 2000 के अनुदेशों द्वारा सभी वन मण्डलीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि सम्बद्ध वन मण्डलीय

---

3 *बान, चील, कोकथ, खैर, शीशम, आम, जामुन, सफेदा, तूनी, सैन, सिंबल और अन्य बी/एल*

4 कोलडैम-लुधियाना संचरण लाइन और कुमारहट्टी-नाहन सड़क, संचरण लाइन देवनी से काला अम्ब तक

5 वन मण्डलीय अधिकारी बिलासपुर, चौपाल, नाहन और रामपुर

अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष स्राव मौसम के अंत तक (अद्यतन 15 दिसम्बर तक) ब्लेजों के विलोपन हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाए ताकि आगामी स्राव मौसम (15 मार्च) के आरम्भ होने से ठीक पहले अरण्यपाल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

तीन मण्डलों[6] के रेजिन ब्लेजों की लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य पाया कि वर्ष 2011, 2012 तथा 2013 के स्राव मौसमों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को स्राव हेतु 10,514 रेजिन ब्लेजों को हस्तांतरित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा संविक्षा में पाया गया कि इन ब्लेजों के विलोपन हेतु अरण्यपाल का पूर्व अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार अरण्यपाल का पूर्व अनुमोदन लिए बिना ब्लेजों का विलोपन अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप ₹4.90 लाख के राजस्व की हानि हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

उद्योग विभाग

6.7 'लघु खनिजों से प्राप्तियां'

खानों और खनिजों से प्राप्तियों में मुख्यत: रॉयल्टी, निष्क्रिय किराये, न्यूनतम किराये, फीस तथा जुर्मानों का समावेश होता है। हिमाचल प्रदेश में पाये जाने वाले प्रमुख लघु खनिज इमारती पत्थर, मैशनरी पत्थर, चूना पत्थर, बजरी, ब्रिक अर्थ और रोडी आदि हैं।

लघु खनिजों का अवशोषण खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियमावली, 1960 द्वारा शासित तथा विनियमित किया जाता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली 1971 और हिमाचल प्रदेश खनिज (अधिकारों की सुपुर्दगी) अधिनियम, 1983 के अंतर्गत वर्ष 1986 में खनन नीति बनाई गई थी जोकि बाद में 1998 में परिवर्तित की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने नदी/ धारा तल खनन नीति दिशा-निर्देश-2004 बनाए और भारत सरकार की प्रख्यापित राष्ट्रीय खनिज नीतियों, 1993 तथा 2008 (गैर-ईधन तथा गैर-कोयला खनिजों हेतु) के अंतर्गत राज्य में खानों तथा खनिजों के विनियमन के लिए पुन: हिमाचल प्रदेश खनिज नीति 2013 अधिसूचित की। खनिज प्राप्तियों और रियायतों पर केन्द्रीय प्रावधानों के साथ-साथ राज्य कानूनों के विनियमन तथा कार्यान्वयन के लिए उद्योग विभाग (भू-विज्ञान शाखा) नोडल अभिकरण है। राज्य में लघु खनिजों से प्राप्ति 2010-11 में ₹113.84 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹147.90 करोड़ हो गई।

'लघु खनिजों से प्राप्तियों' 2010-11 से 2012-13 की अवधि को आवृत करती, पर लेखापरीक्षा मार्च 2014 और जून 2014 के मध्य राज्य भू-वैज्ञानिक, शिमला के कार्यालयों और बारह खनन कार्यालयों में से सात[7] के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

---

6 बिलासपुर, चौपाल और मण्डी

7 खनन अधिकारी बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन और ऊना

6.7.1 रॉयल्टी, निष्क्रिय किराये, न्यूनतम किराये तथा ब्याज की अवसूली/ अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 के नियम 21 (1) (i) (ग) में प्रावधान है कि पट्टा क्षेत्र से हटाये जाने वाले सामान के लिए पट्टाधारी रायल्टी का अग्रिम भुगतान करेगा। रेत, पत्थर आदि के लिए रायल्टी उत्पादन और उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिनांक 08.10.2007 की अधिसूचना के रूप में अन्य परिमाणों के आधार पर ₹20 प्रति टन की दर पर प्रभारित की जानी है। इसके अतिरिक्त विभाग ने दिसम्बर 2002 में स्पष्ट किया कि स्टोन क्रैशरों द्वारा ग्रीट/ बजरी के एक टन के उत्पादन हेतु सात यूनिटों का विद्युत उपभोग न्यायोचित तथा प्रमाणिक था। इसके अतिरिक्त रॉयल्टी की दरें दिनांक 16.01.2012 की अधिसूचना द्वारा ₹20 से ₹40 प्रति टन तक संशोधित की गई थी। भुगतान की देय तिथि से 60 दिनों से अधिक के लिए रॉयल्टी के भुगतान में चूक के मामले में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भी उद्ग्राहय था।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 तथा जून 2014 के मध्य तीन खनन अधिकारियों[8] के कार्यालय में रायल्टी के रजिस्टरों तथा सात पट्टाधारियों द्वारा दायर विवरणियों की नमूना जांच की और पाया कि 2011-12 से 2012-13 के दौरान इन पट्टाधारियों द्वारा विद्युत की 4,77,697.50 यूनिटों का उपभोग करने के पश्चात रेत, पत्थर तथा एग्रिगेट[9] के 68,242.49 टन का उत्पादन किया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित की गई ₹26.38 लाख की राशि की रॉयल्टी इन पट्टाधारियों से वसूल की जानी अपेक्षित थी लेकिन यह न तो पट्टाधारी द्वारा जमा करवाई गई थी और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक रॉयल्टी की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर ₹3.18 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

(ii) इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने मई तथा जून 2014 के मध्य दो खनन अधिकारियों[10] के कार्यालय में रॉयल्टी के रजिस्टरों तथा सात पट्टाधारियों द्वारा दायर विवरणियों की नमूना जांच की और पाया कि इन पट्टाधारियों से इनके द्वारा 2011-12 और 2012-13 के दौरान पट्टा क्षेत्र से निकाले गए 96,304 टन क्रशड पत्थर के आधार पर ₹25.74 लाख की रॉयल्टी की वसूली अपेक्षित थी। इसमें से विभाग द्वारा मात्र ₹19.07 लाख की वसली की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹6.67 लाख की रॉयल्टी की अल्प वसूली हुई, इसके अतिरिक्त ₹2.89 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

इसे इंगित किए जाने (मार्च 2014 तथा जून 2014 के मध्य) पर खनन अधिकारी, बिलासपुर ने सूचित किया (अगस्त 2014) कि दो पट्टाधारियों के सम्बंध में ₹0.12 लाख की राशि की वसूली की गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। अन्य खनन अधिकारी ने बताया कि अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनसार कार्रवाही की जाएगी (दिसम्बर 2014)।

6.7.1.2 देर से किए गए रॉयल्टी भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

लेखापरीक्षा ने मार्च व अप्रैल 2014 के मध्य खनन अधिकारी, ऊना के कार्यालय में रॉयल्टी के रजिस्टरों तथा 18 पट्टाधारियों द्वारा दायर विवरणियों की नमूना जांच की और पाया कि इन पट्टाधारियों द्वारा अक्तूबर 2010 से मार्च 2013 की अवधि के लिए ₹60.87 लाख की रॉयल्टी

---

8 खनन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू और ऊना

9 क्रशड पत्थर

10 खनन अधिकारी बिलासपुर और कांगड़ा स्थित धर्मशाला

विलम्ब से जमा करवाई गई थी। रॉयल्टी जमा करवाने में विलम्ब छः और 311 दिनों के मध्य था। यद्यपि इन पटटाधारियों से रॉयल्टी के विलंबित भगतान पर ₹3.61 लाख का ब्याज वसूली योग्य था, तथापि यह विभाग द्वारा प्रभारित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने (मार्च 2014 और अप्रैल 2014 के मध्य) पर खनन अधिकारी, ऊना ने बताया कि चूककर्त्ताओं को ब्याज की बकाया राशि जमा करवाने के लिए सूचनाएं जारी की जाएंगी। आगे, वसूली पर प्रतिवेदन और उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

6.7.1.3 निष्क्रिय किराया और ब्याज

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली 1971 के अनुसार एक पट्टाधारी द्वारा पट्टा क्षेत्र का निष्क्रिय किराया अथवा पट्टा क्षेत्र से निकाले गए खनिज से देय रॉयल्टी, जो भी अधिक हो, भुगतान योग्य होगी।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 और जून 2014 के मध्य छः खनन अधिकारियों[11] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि 22 पट्टाधारियों[12] ने 62.8885 हेक्टेयर क्षेत्र से 2010-11 से 2012-13 के दौरान कोई उत्पाद नहीं निकाला था। अतः ये पट्टाधारी ₹21.79 लाख का निष्क्रिय किराया भुगतान करने के लिए दायी हैं। इसमें से उन्होंने मात्र ₹5.74 लाख का भुगतान किया था। ₹16.05 लाख के निष्क्रिय किराये की शेष राशि की न तो विभाग द्वारा मांग की गई थी और न ही इसका पट्टाधारी द्वारा भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त निर्धारित दरों पर ₹12.95 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 2014 और जून 2014 के मध्य) खनन अधिकारी ने बताया कि चूककर्त्ताओं को ब्याज की बकाया राशि जमा करवाने के लिए सूचनाएं जारी की जाएंगी। आगे वसूली पर प्रतिवेदन और उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

6.7.1.4 न्यूनतम किराया और ब्याज

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 का नियम 21.1 (i) (घ) में प्रावधान है कि जहां इन प्रचलित नियमों के अंतर्गत एक खनन पट्टा दिया या नवीकृत किया जाता है अथवा एक नया पटटा दिया या नवीकत किया जाता है, वहां पटटाधारी को रॉयल्टी तथा निष्क्रिय किराये के साथ ₹200 प्रति एकड़ की दर पर न्यूनतम किराये का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 और जून 2014 के मध्य पांच खनन अधिकारियों[13] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि वर्ष 2009-10 और 2012-13 के मध्य 82 पट्टाधारियों के सम्बंध में 953.35 एकड़ पट्टा क्षेत्र के लिए खनन पट्टे दिए/ नवीकृत किए गए थे। अतः ये पट्टाधारी निर्धारित दरों पर ₹3.02 लाख[14] की राशि के न्यूनतम किराये के भुगतान के लिए दायी थे, इसके

---

11 खनन अधिकारी बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सोलन और ऊना

12 खनन अधिकारी बिलासपुरः एक पट्टाधारी: ₹6,000, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: आठ पट्टाधारी: ₹6.67 लाख, कुल्लू: तीन पट्टाधारी: ₹44,000, शिमला: तीन पट्टाधारी: ₹3.92 लाख, सोलन: पांच पट्टाधारी: ₹13.81 लाख, और ऊना: दो पट्टाधारी: ₹4.10 लाख

13 खनन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन और ऊना

14 खनन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला: 19 मामले: ₹1.44 लाख, कुल्लू: 28 मामले: ₹0.66 लाख, शिमला: 10 मामले: ₹0.35 लाख, सिरमौर स्थित नाहन: 16 मामले: ₹1.36 लाख और ऊना: नौ मामले: ₹0.90 लाख

अतिरिक्त ₹1.69 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था जिसका न तो पट्टाधारी द्वारा भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक सरकारी राजस्व की उगाही नहीं हुई।

6.7.2 लघु खनिजों के प्रतिभूति निक्षेपों का गैर-अपवर्तन

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 के नियम 33 में प्रावधान है कि जब एक बोली निश्चित हो जाती है अथवा निविदा स्वीकृत हो जाती है, तब बोली लगाने वाला/ निविदाकर्त्ता फार्म 'के' में विलेख का निष्पादन करेगा। विलेख का निष्पादन बोली लगाने वाले/ निविदाकर्त्ता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति की सूचना देने की तिथि से तीन महीनों के अंतर्गत किया जाएगा और यदि संविदाकार/ निविदाकर्त्ता चूक करता है तो बोली/ निविदा को स्वीकृति देने वाले आदेश रद्द किये जाने के लिए विचारित होंगे तथा उपरोक्त अधिनियम के नियम 30 (2) (iv) और 31 (3) के अंतर्गत भुगतान की गई राशियों, संविदा को निरस्त किया जा सकता है तथा प्रतिभूति निक्षेपों के रूप में भुगतान की गई राशि सरकार को अपवर्तित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने जून 2014 में खनन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला के अभिलेख की नमूना जांच में पाया कि 2012-13 से 2014-15 वर्षों के लिए सात संविदाकारों/ निविदाकर्त्ताओं के सम्बंध में संविदाएं/ निविदाएं दी गई थी। इन संविदाकारों ने देय तिथियों पर संविदा धन की निर्धारित निश्चित किस्तों का भुगतान नहीं किया था। यद्यपि विभाग ने जुलाई 2012 और जुलाई 2013 के मध्य उनकी संविदाओं को निरस्त कर दिया था लेकिन ₹4.90 लाख की प्रतिभूति निक्षेपों के रूप में भुगतान की गई राशि सरकार को अपवर्तित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹4.90 लाख के राज्य सरकार राजस्व का वंचन हुआ।

6.7.3 गैर-कानूनी खनन के अपराध मामलों को अंतिम रूप न दिया जाना

खान तथा खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1) के साथ पठित 23 ग (1) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई पर्यवेक्षण, अन्वेषण या खनन कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए खनन पट्टा, पर्यवेक्षण परमिट अथवा एक अन्वेषणकारी लाइसेंस अथवा जैसा भी मामला हो, की शर्तों एवं निबंधनों के अनुरूप तथा अंतर्गत को छोड़कर नहीं करेगा। धारा 23 ग (1) में आगे प्रावधान है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा खनिजों के गैर-कानूनी खनन, स्थानांतरण तथा भंडारण को रोकने के लिए और उससे जुड़े प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।

लेखापरीक्षा ने जून 2014 में निदेशक (उद्योग) के कार्यालय से सूचना एकत्र की और पाया कि 2010-13 के दौरान खनन अधिकारियों ने गैर-कानूनी खनन परिचालन पर 6,973 औचक निरीक्षण/ निरीक्षण संचालित किए थे और गैर-कानूनी खनन के 4,823 मामले पकड़े थे। इन मामलों में से 2,961 मामलों का निपटारा कर दिया गया था और विभाग द्वारा ₹1.53 करोड़ का जुर्माना लगाया तथा वसूल किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि गैर-कानूनी खनन के शेष 1,862 मामलों में से 1,214 मामले न्यायालय में दायर किए गए थे जिनमे से 775 मामले न्यायालय द्वारा ₹12.99 लाख का जुर्माना लगाकर निपटाए गए थे। विभाग सम्बंधित खनन अधिकारियों द्वारा शेष 648 मामलों में की गई कार्रवाई से अनभिज्ञ था क्योंकि अभिलेखों में इन मामलों के सम्बंध में की

गई कार्रवाई को इंगित करने वाला कुछ नहीं था। इन मामलों में शास्ति, रॉयल्टी अथवा जुर्माना आदि के आधार पर देयों की वसूली का अवसर समय बीतने के साथ क्षीण होता जा रहा था।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2014) विभाग ने जुलाई 2014 में सूचित किया कि लंबित 648 मामलों के सम्बंध में सूचना सम्बंधित खनन अधिकारियों से वांछित थी और लेखापरीक्षा को तद्नुसार अभिसूचित कर दिया जाएगा।

6.7.4 लघु खनिजों के बकायों की स्थिति

हिमाचल पदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 की धारा 52 में प्रावधान है कि किराया, रॉयल्टी, फीस, संविदा धन अथवा अन्य राशि जो इन नियमों अथवा किसी भी खनन पट्टे या संविदा की शर्तों व निबंधनों के अंतर्गत सरकार को देय है, ऐसे अधिकारी के फार्म-'एल' में प्रमाणपत्र पर जैसा कि इस सम्बंध में सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट है, उसी प्रकार वसूल की जाएगी जैसे भू-राजस्व के बकाये वसूल किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 और जून 2014 के मध्य निदेशक (उद्योग) और सात खनन अधिकारियों से एकत्र की गई सूचना की संवीक्षा में पाया कि 2004-05 से 2012-13 की अवधि के लिए ₹73.96 लाख की राशि वसूली के लिए लंबित थी। बकाया राशि का अवधि-वार विश्लेषण निम्नवत् है:

₹ लाख

विवरण	10 वर्षों से अधिक		पांच वर्षों से अधिक लेकिन 10 वर्षों से कम		पांच वर्षों से कम		योग	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के लिए लंबित राशि	40	37.32	01	2.36	--	--	41	39.68
न्यायालय में/ बट्टे खाते में डालने के लिए लंबित बकाया	--	--	--	--	--	--	--	--
विभागीय स्तर पर लंबित बकाया	30	8.41	05	4.96	18	20.91	53	34.28
योग	**70**	**45.73**	**06**	**7.32**	**18**	**20.91**	**94**	**73.96**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

94 मामलों में से ₹39.68 लाख की राशि से अंतर्ग्रस्त 41 मामले समाहर्त्ता को बकाया भू-राजस्व के रूप में राशि की वसूली के लिए सौंपे गए थे। शेष 53 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹34.28 लाख की वसूलियां न तो विभाग द्वारा की गई थी और न ही ये मामले बकाया भू-राजस्व के अंतर्गत समाहर्त्ता को सौंपे गए थे।

अत: यहां खनिजों के अवशोषण के कम निर्धारण, रॉयल्टी, निष्क्रिय किराये, न्यूनतम किराये की गलत दर लागू करने और ब्याज के अनुद्ग्रहण के कारण ₹55.73 लाख के राजस्व की अवसूली/ अल्पवसूली हुई थी। यहां तक कि संविदा धन की किस्तों का भुगतान न करने के लिए

संविदाकारों के प्रतिभूति निक्षेप अपवर्तित नहीं किए गए थे। गैर-कानूनी खनन के 2011-13 की अवधि के दौरान पकडे गए 1,862 मामलों में से 1,214 अपराधिक मामले अभी तक लंबित थे।

सरकार और विभाग को उपरोक्त बिन्दु प्रतिवेदित (जुलाई 2014) किए गए थे; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

शिमला **(राम मोहन जौहरी)**
दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**